कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /260/अ0क0री0/का.से./2021 इन्दौर, दिनांक 29/6/2021

प्रारूप–5
(नियम 9 (7) देखिए)
कालोनी विकास की अनुमति

प्र0क्र. 11 /अ–74/2021–22

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम–झलारिया तहसील–कनाडिया, जिला इंदौर में कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :–

श्री/श्रीमती :– **अग्रवाल रियल इन्फ्रा एल0एल0पी0 तर्फे भागीदार श्रीमति नीनादेवी अग्रवाल पति विनोद कुमार अग्रवाल**

निवासी :– **5, यशवंत निवास रोड इंदौर**

कालोनी का नाम :– **" एमराल्ड निर्वाणा " कालोनी**

ग्राम – झलारिया तहसील – कनाडिया जिला – इंदौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 25 / 1 कुल रकबा 6.349 हे .भूमि पर कालोनी **" एमराल्ड निर्वाणा "** कालोनी हेतु निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए कालोनी विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है :–

1– म. प्र. भूराजस्व संहिता 1959(20 सन् 1959) संशोधित नियम 2018 के उपबंधो के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिये लागू शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।

2– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु दी गई अनुज्ञा में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

3– विकास/निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो/निम्न आय समूहों के लिये आरक्षित भूखण्ड को पहली प्राथमिकता नियमानुसार देनी होगी।

4– नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधो के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तो का पालन करना होगा।

5– शहरी भूमि सीमा अधिनिय, 1976 में उल्लेखित प्रावधानो के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

6– संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 3864/एस.पी./आउट–42/20/नग्रानि/2020, इन्दौर दिनांक 05.10.2020 में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

7– आवेदित भूमि के आसपास की किसी भी शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण, निर्माण/संरचना एवं विकास कार्य नही किया जावेगा।

8– कालोनी का विकास कार्य 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

9– कालोनी विकास पेटे धरोहर के रूप में बंधकनामा पंजीकरण क्रं. एमपी179132021ए1341414 दिनांक 07.04.2021 से भूखण्ड क्रं. 06 से 09 तक, 17, 27 से 34 तक, 75 से 83 तक, 92 से 109 तक, 119 से 126 तक, 145, 171, 189 से 193 तक, 219, 228 एवं 229 इस प्रकार 58 भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 9092 वर्गमीटर तक भूमि बंधक रखे गये है। उक्त भूखण्डो को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के बगैर विक्रय नही किया जावेगा।

10– अनुमति जारी दिनांक के समय किसी न्यायालय में वाद लंबित/प्रचलित होने की दशा में यह अनुमति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

11– राज्य शासन द्वारा अधिरोपित नियमो के अधीन एवं समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि विकासकर्ता भूमि स्वामी/भागीदार या अन्य हितग्राही दी जा रही अनुज्ञा की शर्तो के विपरीत विकास कार्य करते है या उनके द्वारा प्रदत्त दस्तावेजो में कोई अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी तथा कालोनी विकास की दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

12– संपदा विनियामक प्राधिकरण रेसा एवं भवन अनुज्ञा निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अधिकारी विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

13– विकास की अनुज्ञा में उल्लेखित भूमि के स्थल एवं स्वत्व सम्बंधी वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन होने की दशा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, योजना में समाविष्ट भूमि, आवेदक व्दारा विकास की अनुमति हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जिसमें कालोनी का रजिस्ट्रेशन, भूमि व व्यपवर्तन की अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश व्दारा स्वीकृत अभिन्यास की सभी शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर,
जिला इंदौर

C:\Users\admin\Desktop\vishal\vikash anumati\AGRAWAL RIYAL INFRA LLP NINA DEVI AGRAWAL\P_5 and Vigyapti _ NINA DEVI.docx

पृ0क्रमांक /261/अ0क0री0/का.से/2021 इन्दौर, दिनांक 29/6/2021

प्रतिलिपिः—

1— कलेक्टर, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
2— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला इंदौर ।
3— अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग कनाडिया, इंदौर की ओर प्रेषित कर लेख है कि प्रदत्त अनुज्ञा में दी गई शर्तो के पालन के सम्बंध में स्थल निरीक्षण करें एवं विकासकर्ता से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
4— तहसीलदार, तहसील—कनाडिया की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि आवेदित भूमि के आसपास की शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण निर्माण/संरचना एवं विकास कार्य नही किये जाने संबंधी निरीक्षण व निगरानी समय—समय पर की जावेगी।
5— वरिष्ठ पंजीयक जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
6— जिला पंजीयक इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । भूखण्ड क्रं. 06 से 09 तक, 17, 27 से 34 तक, 75 से 83 तक, 92 से 109 तक, 119 से 126 तक, 145, 171, 189 से 193 तक, 219, 228 एवं 229 इस प्रकार 58 भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 9092 वर्गमीटर है, भूमि बंधक रखे गये है। जिसका बंधकनामा पंजीकरण क्रं. एमपी179132021ए1341414 दिनांक 07.04.2021 को किया गया है। अतः **बधंकनामा अनुसार 58 भूखंड** की खरीदी, बिक्री व रजिस्ट्री आगामी आदेश तक बिना सक्षम अनुमति के नही की जावे ।
7— आवेदक अग्रवाल रियल इन्फ्रा एल0एल0पी0 तर्फे भागीदार श्रीमति नीनादेवी अग्रवाल पति विनोद कुमार अग्रवाल पता— 5, यशवंत निवास रोड इंदौर जिला—इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।

अपर कलेक्टर,
जिला इंदौर

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

C:\Users\admin\Desktop\vishal\vikash anumati\AGRAWAL RIYAL INFRA LLP NINA DEVI AGRAWAL\P_5 and Vigyapti__NINA DEVI.docx